



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112023-250019
CG-DL-E-11112023-250019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2023/कार्तिक 19, 1945

No. 651]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2023/KARTIKA 19, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 833(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल शुद्धिकरण प्रणाली के उपयोग को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शुद्धिकरण प्रणाली (उपयोग का विनियमन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा--इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(ग) "वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली" से प्रतिवर्ती परासरण आधारित जल उपचार प्रणाली वाला उपसकर या युक्ति अभिप्रेत है, जो कुल घुले हुए ठोस पदार्थों, रासायनिक संदूषकों को सुरक्षित स्तर तक घटा देता है और भौतिक कणों को हटा देता है, जिसके अंतर्गत उपयोग के स्थान पर जल में सूक्ष्म जैविकीय अशुद्धियां भी हैं ;

(घ) “अलग किया हुआ तत्व” से वह तत्व अभिप्रेत है, जो घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली से विनिर्माण त्रुटि, टूट-फूट, इसके उपयोगिता गुणों की हानि या इसकी जीवन समाप्ति होने के कारण इसे अलग कर दिया जाता है ;

(ङ) “घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली” से प्रति घंटा 25 लीटर की क्षमता के साथ प्रतिवर्ती परासरण आधारित जल उपचार प्रणाली वाला उपस्कर या युक्ति अभिप्रेत है, जो कुल घुले हुए ठोस पदार्थों, रासायनिक संदूषकों को सुरक्षित स्तर तक घटा देता है और भौतिक कणों को हटा देता है, जिसके अंतर्गत उपयोग के स्थान पर जल में सूक्ष्म जैविकीय अशुद्धियां भी हैं ;

(च) “विनिर्माता” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कोई व्यक्ति या ईकाई या कंपनी अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथापरिभाषित कोई कारखाना अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित कोई लघु और मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) “उपयोग का स्थान” से उपयोग स्थल के निकट जल शुद्धिकरण प्रणाली की अवस्थिति अभिप्रेत है और जो सीधे एकल नल या कई नलों को जल प्रदान करती है ;

(ज) “अस्वीकृत जल” से जल शुद्धिकरण प्रणाली से बाहर आने वाला और प्रणाली द्वारा उपचारित नहीं किए जाने वाला जल अभिप्रेत है ;

(झ) “जल आपूर्ति अभिकरण” से वाणिज्यिक या तत्समय प्रवृत्त लागू विधि के कारण उदभूत बाध्यकारी उत्तरदायित्व पर निश्चित किए गए भौगोलिक क्षेत्र में जल के उपचार, वितरण या आपूर्ति में लगी हुई कोई इकाई अभिप्रेत है।

3. उपयोग का विनियमन--(1) घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली तथा वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली का उपयोक्ता इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली तथा वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली से सृजित अस्वीकृत जल और अलग किए हुए तत्वों के हथालन, भंडारण, प्रबंधन और उपयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) इन नियमों के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनिर्मित, आयातित, निर्मित या संयोजित प्रत्येक घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 के अधीन भारतीय मानक आईएस:16240 के अनुसार अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिन्ह होगा।

(4) घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली से अलग किए तत्व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 तथा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतरसीमा संचालन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

(5) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य-क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, इस नियम के उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अभिकरण होगा।

4. घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली के विनिर्माता या उपयोक्ता के उत्तरदायित्व--(1) घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली का विनिर्माता इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 के अधीन भारतीय मानक आईएस:16240 के अनुसार अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिन्ह प्राप्त करेगा।

(2) घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली से अलग किए तत्व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 तथा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतरसीमा संचालन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार विनिर्माता द्वारा प्रबंधन किए जाएंगे।

(3) कोई भी घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली ब्यूरो द्वारा मानक चिन्ह और प्रमाणन के बिना विनिर्माता द्वारा विक्रय नहीं की जाएगी।

(4) जल शुद्धिकरण प्रणाली का विनिर्माता, आगामी वित्तीय वर्ष के 30 नवम्बर को या उसके पूर्व, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उसके पश्चात एक मास के भीतर बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

(5) बोर्ड, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली से सृजित अस्वीकृत जल और अलग किए हुए तत्वों के हथालन, भंडारण, प्रबंधन और उपयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार और प्रकाशित करेगा।

(6) बोर्ड, विज्ञापन, प्रकाशन, पोस्टर या संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, जन जागृति का सृजन करेगा।

(7) बोर्ड इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करेगा।

(8) ब्यूरो, उपलब्ध प्रौद्योगिकी, तत्स्थानी पुनः प्राप्ति दक्षता और निर्गत जल गुणवत्ता विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिए लागू मानक कोड आईएस:16240 को तैयार या उपांतरित करेगा।

(9) घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली का उपयोक्ता घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली से सृजित अस्वीकृत जल और अलग किए हुए तत्वों के हथालन, भंडारण, प्रबंधन और उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करेगा।

5. वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली के विनिर्माता या उपयोक्ता के उत्तरदायित्व--(1) वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली का उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के अवधि के भीतर प्राधिकृत करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली का उपयोक्ता, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा :

परन्तु राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या उसके पूर्व प्रतिष्ठापित और प्रचालित वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली का उपयोक्ता, राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के अवधि के भीतर, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रचालन करने के लिए सहमति हेतु आवेदन करेगा।

(3) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भीतर विनियमित की जाए।

(4) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक जल शुद्धिकरण प्रणाली के विनिर्माताओं और आयातकों को रजिस्टर करेगा।

(5) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, विज्ञापन, प्रकाशन, पोस्टर या संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, जन जागृति का सृजन करेगा।

(6) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, इन नियमों उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करेगा।

(7) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, आगामी वित्तीय वर्ष के 15 दिसंबर या उसके पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों का संकलन करेगा और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 दिसंबर या उसके पूर्व केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

6. जल आपूर्ति अभिकरणों के उत्तरदायित्व--पेय जल आपूर्ति में लगे हुए जल आपूर्ति अभिकरण, स्थानीय निकाय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, नगर निगम, जल बोर्ड, नगर पालिकाएं तथा लोक सैक्टर अभिकरण, जल स्रोतों और गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करेंगे, जिसके अंतर्गत बिलिंग उपकरणों के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थों का सान्द्रण भी है, तथा नियमित आधार पर समाचार पत्र में लोक विज्ञापन और मास मीडिया साधनों के माध्यम से भी सूचित करेंगे।

7. घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली पर अनुरूपता लेबल--(1) इन नियमों के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनिर्मित, आयातित, उत्पादित या संयोजित प्रत्येक घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली पर निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अनुरूपता लेबल चिपकाया जाएगा, अर्थात् :--

- (क) लेबल टिकाऊ और पठनीय होगा ; और
- (ख) लेबल उत्पाद के सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक भाग पर चिपकाया जाएगा और उत्पाद के जीवनकाल के दौरान सामान्यतः बदलने वाले भाग पर नहीं ।
- (2) अनुरूपता लेबल पर निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात् :--
- (क) जल शुद्धिकरण प्रणाली के, यथास्थिति, विनिर्माता, आयातक, उत्पादक या संयोजक का नाम और पता ;
- (ख) यह विवरण कि जल शुद्धिकरण प्रणाली इन नियमों और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के उपबंधों के अनुरूप है ;
- (ग) ब्यूरो द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या ;
- (घ) जल शुद्धिकरण प्रणाली के विनिर्माण की तारीख या आयात की दशा में, जल शुद्धिकरण प्रणाली के आयात की तारीख ; और
- (ङ) मूल्यांकित पुनःप्राप्ति दक्षता और तत्स्थानी अस्वीकृत जल सृजन ।

8. प्रकीर्ण—(1) इन नियमों के कार्यान्वयन में कोई विवाद या कठिनाई होने की दशा में, मामले को नोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) नोडल अभिकरण, एकीकरण और पुनःप्राप्ति दक्षता निर्धारण संबंधी मुद्दों को प्रक्रियागत करने तथा इन नियमों के कार्यान्वयण संबंधी सभी मामलों पर परामर्श देने, जिसके अंतर्गत नोडल अभिकरण के विवादों का, यदि कोई हों, निपटारा भी है, के लिए समिति का गठन करेगा ।

[फा. सं. क्यू-17012/1/2019-सीपीडब्लू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2023

G.S.R. 833(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the use of water purification system, namely:—

- 1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Water Purification System (Regulation of Use) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the expiry of one year from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition.**— In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - (a) “Board” means the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
 - (b) “Bureau” means the Bureau of Indian Standard established under section 3 of the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016);
 - (c) “commercial water purification system” means equipment or device, having reverse osmosis based water treatment system that reduces total dissolved solids, chemical contamination to safe level and removes physical particles including microbiological impurities in water at point of use;
 - (d) “discarded element” means element which is discarded from the domestic water purification system due to manufacturing defect, wear, tear, loss of its utility attributes or achieved its end of life;
 - (e) “domestic water purification system” means equipment or device, having reverse osmosis based water treatment system with a capacity of twenty-five litres per hour that reduces total dissolved solids, chemical contamination to safe level and removes physical particles including microbiological impurities in water at point of use;
 - (f) “manufacturer” means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or a Small and Medium

Enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

- (g) “point of use” means location of water purification system close to the use point and deliver directly to a single tap or multiple taps;
- (h) “reject water” means water coming out of water purification system and not treated by the system;
- (i) “water supply agency” means any entity, engaged in treatment, distribution or supply of water in a given geographical area on commercial or obligatory responsibility basis arising due to applicable law for the time being in force.

3. Regulation of use.— (1) The user of domestic water purification system and commercial water purification system shall comply with the guidelines issued by the Board in this regard.

(2) The guidelines shall be published by the Board for handling, storage, management and utilisation of reject water and discarded elements generated from the domestic water purification system and commercial water purification system within a period of six months from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

(3) Every domestic water purification system manufactured, imported, produced or assembled on or after the commencement of these rules shall bear the standard mark under a license from the Bureau as per the Indian Standard IS:16240, under the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

(4) Discarded elements from domestic water purification system shall be regulated as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, the E-Waste (Management) Rules, 2022 and the Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned shall be the nodal agency for ensuring the compliance of the provision of this rule.

4. Responsibilities of the manufacturer or user of domestic water purification system.—

(1) The manufacturer of domestic water purification system shall obtain the Standard Mark under a license from the Bureau as per the Indian Standard IS:16240 under the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, within a period of one year from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

(2) Discarded elements from domestic water purification system shall be managed by the manufacturer as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, the E-Waste (Management) Rules, 2022 and the Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(3) No domestic water purification system shall be sold by the manufacturer without the Standard Mark and certification by the Bureau.

(4) The manufacturer of water purification system shall submit compliance report to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, on or before the 30th November of following financial year, which the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall forward to the Board within one month thereafter.

(5) The Board shall prepare and publish guidelines for management, storage, utilisation and disposal of reject water and discarded elements generated from domestic water purification system within the period of six months from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

(6) The Board shall create public awareness through advertisement, publication, posters or by other means of communication as it may deem fit.

(7) The Board shall monitor the implementation of the provisions of these rules.

(8) The Bureau shall prepare or modify the applicable standard code IS:16240 for domestic water purification system having regard to the available technology, corresponding recovery efficiency and output water quality reliability.

(9) The user of domestic water purification system shall comply with the guidelines issued by the Board for management, storage, utilisation and disposal of reject water and discarded elements generated from domestic water purification system.

5. Responsibilities of the manufacturer or user of commercial water purification system.— (1) The user of commercial water purification system shall apply for authorisation within a period of six months from the date of publication of these rules in the Official Gazette to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, for grant of registration.

(2) The user of commercial water purification system shall comply with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

Provided that the use of commercial water purification system installed and operating on or before the date of publication of these Rules in the Official Gazette shall apply for consent to operate, to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, within a period of six months from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

(3) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall ensure that the commercial water purification system are regulated within the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (6 of 1974) and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder.

(4) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall register manufacturers and importers of the commercial water purification system as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and the E-Waste (Management) Rules, 2022.

(5) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall create public awareness through advertisement, publication, posters or by other means of communication.

(6) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the implementation of the provisions of these rules.

(7) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall submit compliance report to Central Pollution Control Board on or before the 15th December of following financial year.

(8) The Board shall compile annual reports received from State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees and submit to the Central Government on or before the 30th December of following financial year.

6. Responsibilities of water supply agencies.— Water supply agency, local bodies, Public Health Engineering Department, Jal Nigam, Municipal Corporation, Jal Board, Municipalities, private and public sector agencies engaged in potable water supply, shall inform the consumers about the water sources and quality, including total dissolved solids concentration of water being supplied through billing instruments and also through public advertisement in newspaper and other mass media means on regular basis.

7. Conformance label on domestic water purification system.— (1) Every domestic water purification system manufacture, imported, produced or assembled on or after the commencement of these rules shall be affixed with a conformance label meeting the following requirements, namely:—

- (a) the label shall be durable and legible; and
- (b) the label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the product and not normally requiring replacement during the life of the product.

(2) The conformance label shall contain the following information, namely:—

- (a) name and address of the manufacturer, importer, producer or assembler, as the case may be, of the water purification system;
- (b) statement that the water purification system conforms to provisions of these rules and the Environment (Protection) Rules, 1986;
- (c) the licence number issued by the Bureau;
- (d) date of manufacture of the water purification system or in case of import, the date of import, of the water purification system; and
- (e) rated recovery efficiency and corresponding water reject generation.

8. Miscellaneous.— (1) In case of any dispute or difficulty in implementation of these rules, the matter shall be referred to the nodal agency.

(2) The nodal agency shall constitute a Committee for process integrity and recovery efficiency assessment related issues and to advise on all matters related to implementation of these rules including disposal of disputes, if any to the nodal agency.

[F. No. Q-17012/1/2019-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.